

# AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

## **H.P. Ordinance No. 8 of 2010.**

## **THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010.**

**Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first  
Year of the Republic of India**

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

|  |  |
|--|--|
| Short title                            | 1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010.  |
| Amendment of section 4.<br>(9 of 2010) | <p>2. In section 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the “Principal Act”)-</p> <p>(a) in sub-section (1), the second proviso shall be omitted; and</p> |

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate as specified in Schedule-II of the Act:

Provided that where the purchase value of a motor vehicle is not ascertainable on account of non-availability or non-production of the original invoice or when the invoice produced is proved to be false or if the motor vehicle is acquired or obtained otherwise than by way of purchase, then the purchase value shall be the value or price at which motor vehicle of the kind or quality is sold or is capable of being sold in open market.”

Omission of  
section 5

3. Section 5 of the Principal Act shall be omitted.

2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्याक.8.

## हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010(2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का संशोधन करने के लिए **अध्यादेश** ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है:—

संक्षिप्त नाम 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है ।

धारा 4 का 2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, संशोधन । 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम कहा गया है) की 2010 का 9 धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा;  
और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) कर, मोटरयान के क्रय मूल्य पर, अधिनियम की अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहित किया जाएगा :

परन्तु जहाँ पर मोटरयान का क्रय मूल्य मूल बीजक की अनुपलब्धता के कारण या उसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या जब प्रस्तुत किया गया बीजक मिथ्या साबित हो जाता है या यदि मोटरयान को क्रय से अन्यथा अवाप्त या अभिप्राप्त किया गया है, तब उसका क्रय मूल्य, वह मूल्य या कीमत होगी जिस पर मोटरयान को उसकी किस्म या गुणवत्ता के आधार पर विक्रीत किया गया है या जिस पर वह खुले बाजार में विक्रय के योग्य है । ” ।

धारा 5 का लोप 3. मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा ।

(उर्मिला सिंह)

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

---

(ए.सी. डोगरा)  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला:

तारीख: 12.10.2010.

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

—

संख्या : एल0एल0आर.-डी0(6)-33 / 2010—लेज दिनांक शिमला 13 अक्तूबर, 2010

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-10-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 8) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा

(अवतार चन्द डोगरा)

सचिव (विधि)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।